

प्रेस नोट-

थाना नवाबाद, झाँसी

दिनांक- 11.10.2025

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही प्रभावी कार्यवाही,
- एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट गाली गलौज करने वाले 07 अभियुक्त गिरफ्तार,

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 11.10.2025 को थाना नवाबाद पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण 1.अनस खान पुत्र अयूब खान निवासी गनेशगंज उरई जिला जालौन उम्र 21 वर्ष 2.अंकित यादव पुत्र बलवन्त सिंह यादव निवासी कश्यपनगर कल्यानपुर कानपुर नगर उम्र 25 वर्ष हाल निवासी सुकवा डुकवा कालोनी थाना नवाबाद जिला झाँसी 3.धीरज यादव पुत्र भगत सिंह यादव निवासी मु0 हरदौल हंसारी थाना प्रेमनगर जिला झाँसी उम्र 19 वर्ष 4.त्रिवेन्द्र यादव पुत्र धीर सिंह यादव निवासी महाराज सिंह नगर पुलिया नं0 09 थाना प्रेमनगर जिला झाँसी उम्र 33 वर्ष 5.रिषभ यादव पुत्र अर्जुन यादव निवासी मु0गंज थाना सदर बाजार जिला झाँसी उम्र 27 वर्ष 6.बाबी यादव पुत्र करन सिंह निवासी ग्रा0 खिरियाघाट थाना मोठ जिला झाँसी उम्र 30 वर्ष 7.पुष्पेन्द्र यादव पुत्र धीर सिंह यादव निवासी पुलिया नं0 09 थाना प्रेमनगर जिला झाँसी उम्र 30 वर्ष को सम्बन्धित मु0अ0सं0 389/25 धारा 191(2)/122(1)/115(2)/352/351(3) BNS में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.10.2025 को वादी श्री शिवम भास्कर पिता देवेन्द्र भास्कर निवासी कोछाभवर थाना बड़ागांव झाँसी द्वारा लिखित प्रार्थना-पत्र के माध्यम से थाना नवाबाद पर सूचना दी गई कि दिनांक 10/10/2025 को वह बु0वि0 वि0 मे आ रही समर्थ पोर्टल की समस्याओं को लेकर ABVP के कार्यकर्ताओं द्वारा शान्ति पूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे अचानक 200 की संख्या में समादवादी पार्टी (छात्र सभा), कांग्रेस (NSUI) व PDA के नेताओं द्वारा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया और ABVP के कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज, हाथापाई, गला दबाना बहनों के साथ अभद्रता व जान से मारने की धमकी दी गई। जिसमें दीप नारायण सिंह यादव, प्रदीप जैन आदित्य

जिज्ञान रजा, धिरज यादव, शैलेन्द्र बसेला, नरेश यादव (बब्बा), अमन यादव, अंकित यादव (खैलार), सुधेश यादव, ऋषभ यादव, विश्व प्रताप यादव व अन्य PDA के 200 कार्यकर्ताओं द्वारा ABVP के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया।

लिखित प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना नवाबाद पर मु0अ0सं0 389/25 धारा 191(2)/122(1)/115(2)/352/351(3) BNS बनाम 1. दीप नारायण सिंह यादव ,2. प्रदीप जैन आदित्य, 3. जिज्ञान रजा, 4. धिरज यादव, 5.शैलेन्द्र बसेला,6नरेश यादव(बब्बा), 7.अमन यादव,8. अंकित यादव(खैलार),9. सुधेश यादव,10. ऋषभ यादव,11. विश्व प्रताप यादव अन्य 200 PDA कार्यकर्ता नाम पता अज्ञात के विरुद्ध के पंजीकृत किया गया।

पुलिस द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए अभियोग उपरोक्त में वाँछित 07 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तागण का विवरण

- 1.अनस खान पुत्र अयूब खान निवासी गनेशगंज उरई जिला जालौन उम्र 21 वर्ष
- 2.अंकित यादव पुत्र बलवन्त सिंह यादव निवासी कश्यपनगर कल्यानपुर कानपुर नगर उम्र 25 वर्ष
हाल निवासी सुकवा डुकवा कालोनी थाना नवाबाद जिला झांसी
- 3.धीरज यादव पुत्र भगत सिंह यादव निवासी मु0 हरदौल हंसारी थाना प्रेमनगर जिला झांसी उम्र 19 वर्ष
- 4.त्रिवेन्द्र यादव पुत्र धीर सिंह यादव निवासी महाराज सिंह नगर पुलिया नं0 09 थाना प्रेमनगर जिला झांसी उम्र 33 वर्ष
- 5.रिषभ यादव पुत्र अर्जुन यादव निवासी मु0गंज थाना सदर बाजार जिला झांसी उम्र 27 वर्ष
- 6.बाबी यादव पुत्र करन सिंह निवासी ग्रा0 खिरियाघाट थाना मोठ जिला झांसी उम्र 30 वर्ष
- 7.पुष्पेन्द्र यादव पुत्र धीर सिंह यादव निवासी पुलिया नं0 09 थाना प्रेमनगर जिला झांसी उम्र 30 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1-उ0नि0 श्री सुशील कुमार द्विवेदी चौकी प्रभारी विवि0 थाना नवाबाद जनपद झाँसी।
- 2-उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना नवाबाद जनपद झाँसी।
- 3-का0 1529 प्रद्युमन तिवारी थाना नवाबाद जनपद झाँसी।
- 4-का0 272 लाल तिवारी थाना नवाबाद जनपद झाँसी।

